असम में नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर सम्मेलन के समापन समारोह में माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चन्द कटारिया का उद्घाटन भाषण

दिनांक 16 जून 2023, गुरुवार	**समय : 9: 30 PM**	**स्थान : खानापाड़ा, गुवाहाटी**

असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा जी,

माननीय शिक्षा मंत्री डॉ. रनोज पेगू जी,

शिक्षा सलाहकार, असम सरकार डॉ. ननी गोपाल महंत जी,

कुलाधिपति सचिवालय के सलाहकार श्री मिहिर चौधरी जी

देश के विभिन्न हिस्सों से आए शिक्षा विशेषज्ञगण,

विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलपति,

उच्च शिक्षा, असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव,

राजभवन के अधिकारीगण,

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारीगण,

एकेडेमिक स्टाफ कॉलेज के सदस्य

मीडिया से हमारे मित्रगण,

उपस्थित देवियों और सज्जनों,

बीते दो दिन, हमने नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के विषय को लेकर काफी व्यस्त गतिविधियां देखीं। सम्मानित कुलपतियों ने इस संबंध में अपनी तैयारियों और संभावित अड़चनों को सामने रखा। विशेषज्ञों ने उनकी बातों पर ध्यान दिया और उनकी समस्याओं के निदान के लिए सुझाव भी दिए।

सम्मेलन के दोनों दिन काफी प्रभावी रहे, लेकिन आज सम्मेलन का दूसरा दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। हमारे विशेषज्ञों ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में बाधाओं एवं समस्याओं को चिन्हित किया। मैं इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के प्रशंसित विशेषज्ञों के प्रयासों और उनकी प्रतिबद्धता से काफी प्रभावित हूँ।

बंधुओं,

यह पूरी कवायद एक तरह का "मार्ग दर्शन" है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि पूरी प्रक्रिया ने उच्च शिक्षा और विशेष रूप से एनईपी 2020 के क्षेत्र में मुझे बहुत कुछ दिखाया है।

व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के पहलुओं को क्रियान्वयन की रणनीति में वांछित और योग्य स्थान मिलता है तो असम सरकार के लिए प्रसन्नता का विषय होगा। दुर्भाग्य से कोठारी आयोग की 1966 की शिक्षा नीति और 1986 की शिक्षा नीति इस ओर ध्यान नहीं दे पाई थी। हमें शिक्षा के व्यावसायिक घटकों के बारे में मानसिक अवरोध को दूर करना होगा। इससे जुड़े "सामाजिक कलंक" को भी मिटाना होगा।

मैं सभी संस्थानों के प्रमुखों से अनुरोध करता हूँ कि वे व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य पाठ्यक्रमों में सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करें। जहां तक संभव हो, स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करें। इसके अलावा "लोक विद्या" (पारंपरिक ज्ञान) का ज्ञान, आर्टिस्ट ऑफ रेसिडेंस (Artist of Residence) और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस (Professor of Practice) को भी पाठ्यक्रम की रूपरेखा में उचित स्थान दें।

अब क्रेडिट, क्रेडिट लेवल और क्रेडिट अंक, क्रेडिट आवर्स (Credit Hours) और गैर-पारंपरिक पाठ्यक्रमों के क्रेडिटकरण से संबंधित सभी पहलु अब मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा, इंटर–डिसिप्लिनरी, ट्रांस–डिसिप्लिनरी में शामिल होंगे।

मैं उच्च शिक्षा संस्थानों के सम्मानित नेतृत्व से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर उचित ध्यान दें। हमारी शिक्षा प्रणाली के नेतृत्वकर्ता को भी उपलब्धता,

समानता और समावेशिता सुनिश्चित करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रक्रिया में हम सामाजिक रूप से वंचित समूह (SDGS) को भूलेंगे नहीं।

उच्च शिक्षण संस्थानों के नेतृत्वकर्ता,

आप **भारत के उच्च शिक्षा आयोग** के आदेश के क्रियान्वयन के लिए तैयार रहें। यह आदेश चार कार्यक्षेत्रों

i) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (NHERC),
ii) राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC),
iii) उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (HEGC) और
iv) सामान्य शिक्षा परिषद में लागू होंगे।

साथ ही, यह भी ध्यान दें कि हमारे पास 2035 तक उच्च शिक्षा में GER (सकल नामांकन अनुपात) को 50% तक बढ़ाने का जनादेश है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि NEP 2020 को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास तीन प्रकार के विश्वविद्यालय होंगे जैसे टाइप I, टाइप II, टाइप III।

लेकिन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइप III संस्थानों को निरंतर सहयोग आवश्यक हो सकता है ताकि वे समय के साथ टाइप II और टाइप I का दर्जा प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, हमें अपने संबद्ध कॉलेजों के लिए क्रमिक स्वायत्तता भी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि उन्हें वर्ष 2035 तक स्वायत्तता की स्थिति में ले जाया सके।

इसके अलावा, हमें **नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF)** से फंड प्राप्त करने के लिए देश के अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अत्याधुनिक अनुसंधान और उच्च श्रेणी की पत्रिकाओं में प्रकाशन, पेटेंट और पेटेंट के लाइसेंसिंग को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए।

मित्रों,

उच्च शिक्षा संस्थानों की हाल ही में प्रकाशित एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग में सामान्य गिरावट से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणियां गौर करने योग्य हैं। मुझे यकीन है कि ये सभी संस्थान भी समान रूप से चिंतित होंगे। कृपया NIRF के अगले चक्र तक स्थिति को सुधारने के लिए तेजी से कार्य करें। नवोन्मेष (innovation), उद्भवन (incubation) और कौशल विकास के लिए यथोचित परिश्रम करना होगा।

हम सभी जानते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए, यह न केवल राज्य सरकार के प्रत्यक्ष समर्थन से, बल्कि DST-FIST, PURSE, UGC विशेष सहायता कार्यक्रम, उत्कृष्टता संस्थान, परमाणु ऊर्जा, CISR, DRDO, पूर्व छात्रों और परोपकार संस्थाओं के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए धन उपार्जन एवं संग्रह करने पर जोर देना चाहिए।

NEP 2020 के क्रियान्वयन को लोकप्रिय बनाने के लिए, यूजीसी की सारथी परियोजना के अंतर्गत, प्रत्येक विश्वविद्यालय से तीन (3) विद्यार्थियों को एमबेसडर के रूप मे नामांकीत किया जाए तथा यूजीसी द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाए।

यह स्पष्ट है कि हमारे कंधों पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। कुलाधिपति के रूप में मैं आपके हर प्रयास में आपके साथ हूँ। मैं NEP 2020 को लागू करने में आप सभी की सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद !

जय हिन्द !